‘नयी दिल्ली में आज जान कार्निन के नेतृत्व में कांग्रेस के शिष्टमंडल से मिलकर प्रसन्न हूं। अफगानिस्तान, हिन्द प्रशांत सहित द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का सार्थक आदान प्रदान हुआ।’ —— एस जयशंकर, विदेश मंत्री

राज्य में सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करने के लिये लोकनिर्माण विभाग ने 15 दिन का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। —— केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, उप्र

पद्म सम्मान से मिली गुमनाम चेहरों को पहचान : कोश्यारी

नई दिल्ली : महाराष्ट्र सदन में शुक्रवार को कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बल्देव भाई शर्मा के जीवन पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण करते महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके व अन्य अतिथि। फोटो : एसएनबी

नई दिल्ली, (एसएनबी)। ‘पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों की सूची में इस बार ऐसे गुमनाम चेहरे शामिल थे, जो लोकप्रियता की चकाचौंध से दूर समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। आज जिस तरह केंद्र सरकार आम आदमी को खास सम्मान दे रही है, उसी तरह हम सभी को अपने जीवन में ऐसे लोगों की खोज करनी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ‘यह विचार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति प्रो. बल्देव भाई शर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केंद्रित राम सुंदर कुमार की पुस्तक ‘मानुष जनम अमोल’ के लोकार्पण समारोह के दौरान व्यक्त किए।

महाराष्ट्र सदन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके ने की। आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी एवं आध्यात्मिक गुरु डॉ. पवन सिन्हा भी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि पत्रकारिता का मतलब तलवार की धार पर चलना है और जब आप किसी मिशन के साथ मीडिया में काम करते हैं, तो ये रास्ता और भी कठिन हो जाता है। पत्रकारों को हमेशा याद रखना चाहिए कि समाज के प्रति उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके ने कहा कि समय के साथ पत्रकारिता को कई परिवर्तनों से गुजरना पड़ा है। पहले समाचार प्राप्त करने में बड़ा समय लगता था, लेकिन आज मिनटों में सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार वायरल हो जाता है। राज्यपाल ने युवाओं को सलाह दी कि अगर आप ईमानदारी के साथ कर्तव्य निभाएंगे, तो सफलता अवश्य मिलेगी।

आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि उदारता और स्वीकार्यता बल्देव भाई की पहचान है। उनके पूरे लेखन में भारतबोध ही झलकता है। बल्देव भाई को समझने के लिए उनके जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को भी समझना आवश्यक है। उनकी पत्रकारिता लोकमंगल की पत्रकारिता है। आध्यात्मिक गुरु डॉ. पवन सिन्हा ने कहा कि यह एक पुस्तक का नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व और दर्शन का विमोचन है। ये पुस्तक एक ऐसे इतिहास को संजोती है, जिसमें संघर्ष से लड़ने की शक्ति और चुनौतियों से निपटने का साहस है। इस मौके पर प्रो. बल्देव भाई शर्मा ने कहा कि एक पत्रकार को कम बोलना चाहिए और ज्यादा पढ़ना चाहिए। पत्रकारिता ने मुझे जीवन का संयम, दिशाबोध और मनुष्यता का कर्तव्य सिखाया है। कार्यक्रम का संचालन प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन आलोकपर्व प्रकाशन के अध्यक्ष श्री राम गोपाल शर्मा ने किया।

समय के साथ बदली है पत्रकारिता : अनुसुइया उइके

प्रो. बलदेव भाई शर्मा पर केंद्रित पुस्तक ‘मानुष जनम अमोल’ का हुआ लोकार्पण

मनिका बत्रा को कथित तौर पर निशाना बनाने पर हाईकोर्ट नाराज

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा द्वारा शिकायत को लेकर आवाज उठाने एवं अदालत का दरवाजा खटखटाने पर भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) की तरफ से कथित तौर पर निशाना बनाए जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि खिलाड़ी को निशाना नहीं बनाया जा सकता। अगर उसे निशाना बनाया जा रहा है तो यह गंभीर समस्या है।

उन्होंने टीटीएफआई को निर्देश दिया कि वह मनिका बत्रा को लेकर अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आईटीटीएफ) से बात करे। न्यायमूर्ति ने यह निर्देश बत्रा की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में चयन के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में अनिवार्य उपस्थिति के नियम को रद्द करने की मांग की है। देश की शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी बत्रा ने कहा था कि अदालत से शिकायत किए जाने की वजह से राष्ट्रीय महासंघ उन्हें निशाना बना रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय महासंघ भी उसके साथ एक आरोपी की तरह व्यवहार कर रहा है।

हाईकोर्ट ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआई) को लगाई फटकार

बत्रा ने कहा था कि अपनी शिकायत को लेकर आवाज उठाने पर उन्हें किया जा रहा परेशान

इस वजह से वह अपने अभ्यास पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रही है। न्यायमूर्ति ने कहा कि फिर मंत्रालय क्या कर रहा है, उन्हें इसकी जांच करनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि कुछ गंभीर कदम उठाए जाएं। इस महासंघ को भंग कर एक तदर्थ समिति नियुक्त की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महासंघ का उद्देश्य क्या है? आप खिलाड़ी और खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं या इस तरह की ही चीजें करना चाहते है? गौरतलब है कि कोर्ट ने इस मामले में 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में चयन के लिए राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में अनिवार्य उपस्थिति की टीटीएफआई के नियम पर रोक लगा दी थी।

संक्षिप्त खबरें

निगम ने बेलदार को निलंबित किया

पूर्वी दिल्ली । पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में एक बेलदार को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जरूरी आदेश जारी कर दिए गए है। श्री अग्रवाल ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार व लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापौर ने कहा कि कुछ कर्मचारियों के भ्रष्ट रवैये से पूरा निगम बदनाम होता है।

केंद्रीय मंत्री से मिले भाजपा नेता

नई दिल्ली । भाजपा नेता प्रवेश वाही ने रोहिणी में नए बने सेक्टर्स में मूलभूत सुविधाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से भेंट की। वाही ने बताया कि केंद्रीय मंत्री द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नए सेक्टर्स में कार्य करने के लिए तुरंत डीडीए के वाइस चेयरमैन को फोन पर निर्देश दिए कि इस संबंध में अति शीघ्र कार्रवाई की जाए।

केजरीवाल आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं को दे रहे संरक्षण : अनिल कुमार

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपराधिक लोगों को संरक्षण देते हैं। उन्होंने कहा कि देवली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल टैंकर मालिक डॉ. राजेंद्र सिंह की आत्महत्या के मामले में आरोपी हैं। सुसाइड नोट में भी उनका नाम था। उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का भी मामला है। लेकिन केजरीवाल उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की बजाय लगातार संरक्षण प्रदान कर रहे हैं।

अनिल कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन और जन लोकपाल की दुहाई देने वाले अरविन्द केजरीवाल अपने आपराधिक प्रवृत्ति के विधायकों व मंत्रियों को संरक्षण दे रहे हैं। अनिल कुमार ने कहा कि आप पार्टी के रिठाला से विधायक मोहिन्दर गोयल, सुल्तानपुर माजरा के विधायक एवं पूर्व मंत्री संदीप कुमार, ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान, जरनैल सिंह और दिनेश मोहनिया पर भी मुकदमें दर्ज हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही।

अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ होगी कार्रवाई : निगमायुक्त

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

पूर्वी दिल्ली।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक में मकानों में अवैध रूप से लगे होर्डिंग बैनर पोस्टर को लेकर पार्षदों ने आवाज उठाई। विपक्ष की पार्षद मोहिनी जीनवाल ने ताहिरपुर के स्कूल में टीचरों की कमी का मामला उठाया। बैठक शुरू होते ही सदन नेता सत्यपाल सिंह ने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल में तैनात एई एएच खान का मामला कई बार बैठक में उठ चुका है, लेकिन अभी तक उक्त अधिकारी को हटाया नहीं गया है। इस मामले को पूर्व महापौर विपिन बिहारी ने तो कई बार उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले पर स्थाई समिति अध्यक्ष बीएस पवार ने निगमायुक्त से अधिकारी को तुरंत हटाने को कहा। बैठक के दौरान पार्षद पुनीत ने कहा कि कहा कि इलाके में जगह-जगह मकानों पर अवैध रूप पोस्टर व हार्डिंग लगे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक होर्डिंग गिरने की वजह से दोपहिया वाहन चालक उसकी चपेट में आकर घायल हो गया, इसलिए इन होर्डिंग्स को तुरंत हटाया जाए। इस मामले में निगमायुक्त ने कहा कि जल्दी ही अवैध रूप से मकानों पर लगे होर्डिंग पोस्टर बैनरो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। वहीं पार्षद मोहिनी जीनवाल ने कहा कि उनके वार्ड ताहिरपुर में निगम का एक स्कूल है, इसमें 3 टीचर हुआ करते थे, अब उनमें से दो का प्रमोशन हो गया, अब केवल एक ही टीचर है, वह भी विकलांग है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति की बैठक में उठा मुद्दा

केवल 12वीं के अंक पर विचार किए जाने को कोर्ट की हरी झंडी

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केरल राज्य बोर्ड के छात्रों के दाखिले के लिए केवल 12वीं कक्षा के अंकों पर विचार करने संबंधी विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। केरल बोर्ड 11वीं व 12वीं कक्षा के अंकों को मिलाकर ग्रेड बनाता है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि याचिका दाखिल करने में देरी की गई है, इस पर विचार नहीं किया जाएगा। वह अनुमान के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। वह देखेगा कि केरल के कुछ छात्र शिकायत के साथ याचिका दाखिल करते हैं या नहीं। डीयू के दाखिला बुलेटिन में कहा गया था कि यदि किसी अभ्यर्थी की मार्कशीट में 11वीं व 12वीं कक्षा के अंक हैं तो केवल 12वीं के ही अंक दर्ज करने होंगे।

आईआईटी के 2,117 छात्रों को प्रदान की जाएगी डिग्री

नई दिल्ली (भाषा)। प्रमुख लॉजिस्टिक्स कंपनी डेल्हीवरी के सह-संस्थापक कपिल भारती और मॉडर्ना थेरेप्यूटिक्स के उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह उन विशिष्ट पूर्व छात्रों में शामिल है, जिन्हें शनिवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के 52वें दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया जाएगा। भारती वर्ष 2000 बैच के है, जबकि सिंह ने 1981 में संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। आईआईटी-दिल्ली के निदेशक वी. रामगोपाल राव के अनुसार, दीक्षांत समारोह के दौरान 2,117 स्नातक छात्रों को उनकी डिग्री प्रदान की जाएगी।

राव ने संवाददाताओं से कहा कि संस्थान की पूर्व छात्रा और फैबल की संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद्मश्री वारियर दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। वारियर माइक्रोसॉफ्ट और स्पॉटिफाई की बोर्ड सदस्य भी है। शिक्षण और अनुसंधान श्रेणी में विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार प्राप्त करने वालों में लव के ग्रोवर (स्वतंत्र शोधकर्ता), सोमेश झा (प्रोफेसर, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय) और नंदिनी त्रिवेदी (ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी) शामिल है। उन्होंने कहा कि उद्यमिता श्रेणी में, विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार विजेताओं में कपिल भारती और हितेश ओबेरॉय (प्रबंध निदेशक और सीईओ, इंफोर एज इंडिया लिमिटेड) है। उन्होंने कहा कि सतीश कुमार सिह को कॉर्पोरेट नेतृत्व श्रेणी के तहत सम्मानित किया जा रहा है। दीपक वशिष्ठ (प्रोफेसर, इलिनोइस विश्वविद्यालय) और दिव्या गुप्ता (माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया) को शिक्षण और अनुसंधान श्रेणी में ग्रेजुएट्स ऑफ लास्ट डिकेड (गोल्ड) पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। राव ने कहा उद्यमिता श्रेणी में पुरस्कार विदित आत्रे (संस्थापक और सीईओ, मीशो) और संजीव बरनवाल (संस्थापक और सीटीओ, मीशो) को प्रदान किया जा रहा है। 1992 बैच के पूर्व छात्र और वेस्टब्रिज कैपिटल के प्रबंधन निदेशक संदीप सिघल को विशिष्ट पूर्व छात्र सेवा पुरस्कार (डीएएसए) प्रदान किया जाएगा। स्नातक कार्यक्रमों से कुल 843 छात्रों, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के 986 छात्रों और 288 पीएचडी छात्रों को उनकी डिग्री प्रदान की जाएगी।

संस्थान का 52वां दीक्षांत समारोह आज

पूर्व छात्र कपिल भारती व सतीश कुमार होंगे सम्मानित

अवैध डेयरियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली (एसएनबी)। दक्षिणी दिल्ली की स्थायी समिति की बैठक में शुक्रवार को अवैध डेयरियों का मामला जोर शोर से उठा। स्थायी समिति अध्यक्ष कर्नल बी के ओबरॉय ने अवैध डेयरियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान स्थायी समिति सदस्य राजदत्त गहलोत ने अवैध डेयरियों का मामला जोर शोर से उठाया ? जिसके बाद संबंधित अधिकारी ने कहा कि नांगल व ककरोला डेयरियों के भवनों का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है और जो भी डेयरियां अवैध मिलेगी, उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वहीं राजदत्त गहलोत ने बताया कि नजफगढ़ जोन के अंतर्गत आने वाली डेयरियों के गोबर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में समिति सदस्य तुलसी जोशी ने कहा कि कचरा उठाने वाली कंपनी नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रही है, जिसपर निगम अधिकारी बड़ी राशि में जुर्माना वसूल सकते हैं लेकिन अधिकारी कंपनी पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर समिति अध्यक्ष ओबरॉय ने एक जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए। कांग्रेस से सुरेश पहलवान ने कहा कि नाला बेलदारों को जल्द से वेतन जल्द जारी किया जाए।

‘नरेन्द्र देव की विद्वता को मापा नहीं जा सकता’

नई दिल्ली (एसएनबी)। आचार्य नरेन्द्रदेव ग्रंथावली का विमोचन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सभागार में किया गया। विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि जिस प्रकार सागर की गहराई नहीं नापी जा सकती है, उसी प्रकार आचार्य नरेन्द्रदेव की विद्वता को नहीं मापा जा सकता है। उन्होंने भारतीय राजनीति में नैतिकता का वह आदर्श स्थापित कर दिया, जो अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि ग्रंथावली का पहले तीन भाग ‘अभिधर्म कोश’ से संबंधित है। आचार्य जी कितनी भाषाएं जानते थे, अभिधर्म कोश इसकी एक बानगी है। इसका अनुवाद उन्होंने फ्रेंच भाषा से किया है। वह बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और ग्रंथावली का चौथा खंड बौद्ध धर्म-दर्शन को समेटे हुए है। जबकि पांचवां खंड राष्ट्रीयता और समाजवाद से संबंधित है, जिसमें वे भाषा-संस्कृति और समाजवाद पर विचार प्रकट करते हैं। वहीं छठा खंड 81 भाषणों का संकलन है।

आचार्य नरेन्द्रदेव ग्रंथावली के विमोचन के अवसर पर राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने रखे विचार

इसी क्रम में हरिवंश ने सातवें एवं आठवें भाग का भी जिक्र किया और सवालिया लहजे में कहा कि जिस व्यक्ति का आचरण, व्यवहार, विचार और नीति शुचितापूर्ण रही है, आखिर उसे समाज क्यों नहीं अपना पाता है। कार्यक्रम को समाजवादी चिंतक केसी त्यागी और केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने भी संबोधित किया। ग्रंथावली का प्रकाशन केएल पचौरी प्रकाशन ने किया है और संपादन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र के अध्यक्ष प्रो. ओमप्रकाश सिंह ने किया है।

झुग्गीवासी परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरित किए

नई दिल्ली (एसएनबी)। भाजपा की झुग्गी सम्मान यात्रा में झुग्गीवासी परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटे गए। इस यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में निकाली जा रही झुग्गी सम्मान यात्रा शुक्रवार को जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुन्दर नर्सरी झुग्गी बस्ती, मथुरा रोड एवं जनता कैम्प झुग्गी बस्ती, भैरो मन्दिर क्षेत्र में निकाली गई।

इस मौके पर गुप्ता ने कहा कि यह दुखद है कि सुन्दर नर्सरी एवं जनता कैम्प भैरों मन्दिर की इन बस्तियों में लोग चार दशक से अधिक के समय से रह रहे हैं और यह दोनों बस्तियां विकसित क्षेत्र में हैं पर यहां के नागरिक शौचालय एवं स्नानगृह जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक यात्रा में गरीबों का सम्मान विशेष महत्व रखता है, हम मानते हैं कि हर गरीब की झुग्गी में उसी तरह देवताओं का वास है जैसे कभी संतों की झोपड़ी में होता था। गरीब भगवान के दिल में बसते है इसीलिए भाजपा सरकार हमेशा अंत्योदय को समर्पित रहती है।

यूनानी पद्धतियों में नैदानिक अनुसंधान पर फोकस कर रहा है आयुष मंत्रालय : खान

नई दिल्ली (एसएनबी)। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के स्वयत्त सेवी संस्थान केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद(केयूचिअप) ने यहां इंडिया हेबिटेट सेंटर में अनुसंधान विधि पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का का आयोजन किया। परिषद के महानिदेशक प्रो. आसिफ अली खान मुख्य अतिथि थे जबकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने समारोह की अध्यक्षता की।

इस मौके पर प्रो. खान ने नैदानिक अनुसंधान, औषधि मानकीकरण, औषधीय पादप सर्वेक्षण एवं कृषि और साहित्यिक अनुसंधान में केयूचिअप की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और सहयोगी संस्थानों विशेष कर जामिया के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने जामिया परिसर में स्थित हकीम अजमल खां इंस्टीट्यूट फॉर लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के क्लासिकि ग्रंथों और यूनानी चिकित्सा के ज्ञान के संरक्षण, अनुवाद, प्रलेखन और पुनरुत्पादन के छेत्र में योगदान का विशेष उल्लेख किया। प्रो. खान ने स्टैनफोर्ड की शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में जामिया के 16 शोधकर्ताओं के नाम आने की सराहना की और प्रो. नजमा अख्तर को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।

आयोजन के दौरान प्रो. नजमा अख्तर ने अपने संबोधन के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया की ताजा उपलब्धियों के बारे में बताया, विशेष रूप से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेम मवर्क (एनआईआरएफ)-2021 में देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में छठा स्थान हासिल करने का उल्लेख किया।

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र-द्वितीय, जोधपुर

Tel: 0291-2650730, Email: ace2jodhpur@gmail.com

क्रमांक :-क्षेत्र-II/ जोधपुर/ निविदा /2021-22/ 7603-30 दिनांक : 08.11.2021

बिड संशोधन सूचना (NIB) संख्या -187/ 2021-22

इस कार्यालय के पत्रांक क्षेत्र-II/ जोधपुर/निविदा/ 2021-22/5317-40 दिनांक 24.09.2021 द्वारा जारी बिड आमंत्रण सूचना (NIB) संख्या 187 से 193/2021-22 में से निविदा संख्या 187 / 2021-22 में निम्नानुसार संशोधन जारी किया जाकर https://eproc.rajasthan.gov.in एवं https://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया गया।

1. प्रथम संशोधन पत्रांक 6678-6702/08.10.2021
2. द्वितीय संशोधन पत्रांक 601-25/ 14.10.2021
3. तृतीय संशोधन पत्रांक : 7136-58 / 27.10.2021

उक्त संशोधन समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होने के कारण चुतुर्थ संशोधन निम्नानुसार जारी किया जाता है:-
(UBIN No. PHE2122WSOB07907, EPROC ID: 2021_PHCJO_242393_1)

	पूर्व निर्धारित दिनांक	संशोधित दिनांक
ऑनलाइन बिड डाउनलोड /अपलोड करने की अन्तिम तिथि	09.11.2021 को 6.00 पी.एम.	22.11.2021 को 6.00 पी.एम.
ऑनलाइन बिड खोलने की तिथि	10.11.2021 को 2.00 पी.एम.	23.11.2021 को 2.00 पी.एम.

(विजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, क्षेत्र द्वितीय जोधपुर

संख्या-विज्ञापन/ 2021/11399 जयपुर,दिनांक : 12.11.21

मैसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कॉर्पोरेट देनदार) की आस्तियों की ई–नीलामी बिक्री हेतु सूचना

(CIN-U65923DL1996PLC082284) (कम्पनी परिसमापन में)
(इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत बिक्री)
कॉरपोरेट देनदार की आस्तियों अर्थात विंडमिल्स् को "जो है जहाँ है", "जैसा है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है

लॉट नं.	कॉरपोरेट देनदार की आस्तियां अर्थात विंडमिल्स् का विवरण	क्षमता और बना	आरक्षित मूल्य (रु. करोड़ में)	जमा धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) (रु. करोड़ में)
1	(i) विंडमिल नं. 170 और सर्वे नं. 777/2 (पार्ट) में शामिल अंतर्निहित भूमि, क्षेत्रफल 0.20 एकड़, गाँव अचमपट्टी, मेला नीलाथनल्लूर पचायत्थु संघ. तेनकासी पंजीकरण जिला, जिला तूतुकोरिन और सर्वे नं. 260/1 (पार्ट) में शामिल भूमि का टुकड़ा, क्षेत्रफल 3.00 एकड़ जोकि ग्राम पणिक्करकुलम, कोविल पट्टी तालुक, कायथर उप–पंजीयक कार्यालय, पलायमकोट्टई पंजीकरण जिला, जिला तूतुकोरिन, तमिलनाडु (ii) विंडमिल नं. 171 और सर्वे नं. 248/3A में शामिल अंतर्निहित भूमि, क्षेत्रफल 1.14 एकड़, सर्वे नं. 248/IF(पार्ट) क्षेत्रफल 0.79 एकड़ और सर्वे नं. 248/3B1 क्षेत्रफल 1.11 एकड़, कुल 3.04 एकड़ जोकि गाँव पणिक्करकुलम, कोविल पट्टी तालुक, कायथर सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, पलायमकोट्टई पंजीकरण जिला, जिला तूतुकोरिन, तमिलनाडु	क्षमता – 2 1000KW (1MW) प्रत्येक की विंडमिल्स् मेक – विनविंड	1.80	0.18
2	(i) विंडमिल नं. 689 और सर्वेक्षण एसएफ संख्या 52/2 (पार्ट) में शामिल अंतर्निहित भूमि 1.00 एकड़, जोकि वी. कालीपलायम गांव, तिरुपुर तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु	क्षमता – 1 600 KW विंडमिल्स् मेक–आरआरबी वेस्टास	1.13	0.12
3	समेकित लॉट अर्थात लॉट 1 और लॉट 2 एक साथ		2.93	0.30

नोट:
1. जीएसटी लागू अनुसार
2. उपरोक्त लॉटों के लिए सभी बोलियों पर लॉट नं. 3 हेतु बोली जमा करने वाले बोलीदाता को वरीयता दी जाएगी। इस संबंध में विवरण ई–नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज में प्रस्तुत किए गए हैं।
3. उपरोक्त बिक्री ई–नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है, जिसे वेबसाइट **"ncltauction.auctiontiger.net"** और **www.arck.in"** पर अपलोड किया गया है। कृपया विवरण हेतु इसे देखें।
4. आवेदन करने की अंतिम तिथि : 29 नवंबर , 2021 को अपराह्न 5 बजे तक
5. ई–नीलामी की तिथि: 1 दिसंबर, 2021, ई–नीलामी की समयः दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 02.00 बजे तक
6. विवरण हेतु वेबसाइट **www.arck.in; https://ncltauction.auctiontiger.net.** देखे
7. पत्राचार ई–मेल: **insolvency@arck.in; narangcg58@gmail.com**

ज्ञान चंद नारंग
परिसमापकः एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लि.
मो. नं. 8860040302
IBBI पंजीकरण नंबर IBBI/IPA-002/IP-N00362/2017-18/11031
पंजी. पता : बी–2/214, वरूण अपार्टमेंट, सैक्टर–9, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
कार्यालय पताः 409, अंसल भवन, 16, के जी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

तिथिः 13.11.2021
स्थानः नई दिल्ली

कार्यालय अधिशासी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खण्ड बॉसवाडा

मकान संख्या 215, रोड संख्या 6/A राती तलाई बॉसवाडा, (राजस्थान)

क्रमांक : EE/M &H.DIV. BSW/2021-22/580 दिनांक : 01.11.2021

संशोधित निविदा

(NIB Code MHS2122A1580)

इस कार्यालय के क्रमांक EE/M &H/Div. BSW/2021-22/455 दिनांक 27.09.2021 द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 19/2021-22 में क्रम संख्या (3) Additional construction at **DH Sagwada** Distt. Dungarpur (UBN MHS2122WSOB02452) में निम्नानुसार पुनः संशोधन किया जाता है :-

	पूर्व में जारी	संशोधित
ऑनलाइन निविदा फार्म मिलने की तारीख	01/10/2021 प्रातः 9.00 बजे से 02/11/2021 सायं 6.00 बजे तक	01/10/2021 प्रातः 9.00 बजे से 15/11/2021 सायं 6.00 बजे तक
ऑनलाइन निविदा फार्म जमा कराने की अंतिम तारीख	02/11/2021 सायं 6.00 बजे तक	15/11/2021 सायं 6.00 बजे तक
निविदा संबंधित Documents कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तारीख	03/11/2021 दोपहर 1.00 बजे तक	16/11/2021 दोपहर 1.00 बजे तक
ऑनलाइन निविदा खोलने की तारीख	03/11/2021 सायं 3.00 बजे	16/11/2021 सायं 3.00 बजे

निविदा की अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

(वी.एस.डाबी)
अधिशासी अधिकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खण्ड बॉसवाड़ा

संख्या-विज्ञापन/2021/11410 जयपुर, दिनांक : 12.11.21

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069.
हापुर शाखाः दरवाजा-डब्लू/6/1534, तल मंजिल, सहारा प्लाजा, एलओसी पेट्रोल पंप के सामने, दिल्ली रोड़, हापुर-245101 (उ.प्र.)
मुरादाबाद शाखाः दुकान नं.6, पहली मंजिल, मित्तल कॉम्पलेक्स, स्प्रिंग फील्ड के सामने, दिल्ली रोड़, मुरादाबाद-244001 (उ.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(एपलिकेशन नं. 00067801/ हापुर शाखा) मुन्नी शेखर (ऋणी), शेखर चंदेर प्रकाश (सह-ऋणी) सुशिल कुमार (जमानतदार)	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, पी नं.30 एवं 31 का भाग, ख नं.2316 एवं 2360, एमओ, न्यू भिम नगर, दिल्ली, गरहा रोड़, एल.एन पब्लिक स्कूल के पास, हापुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 245101, **चर्तुःसीमा :** पूर्व : प्लॉट नं.3 का भाग, पश्चिम : छतर सिंह के प्लॉट नं.31 का भाग, उत्तर : आबादी मोगीरधरी नगर, दक्षिण : 25 फीट चौड़ा रास्ता	15-04-2021 & ₹ 8,28,890/-	10-11-2021
2	(एपलिकेशन नं. 00080930/ हापुर शाखा) सुनिता विजय सिंह (ऋणी), विशाल वासी (सह-ऋणी)	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, खसरा नं.9, प्लॉट नं.5 का भाग, वर्मा एनक्लेव, चक्रसेनपुर उर्फ बाबू गरह अम्बेडकर चौक, एनएच-24 बाबू गरह हापुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 245201, **चर्तुःसीमा :** पूर्व : प्लॉट नं.5 का भाग, पश्चिम : 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर : 25 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण : प्लॉट नं.5 का भाग	15-04-2021 & ₹ 9,45,261/-	10-11-2021
3	(एपलिकेशन नं. 00074084/ हापुर शाखा) राज कुमार (ऋणी), कंछिद सिंह (सह-ऋणी) सुरज पाल (जमानतदार)	सम्पत्ति के समस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, इडब्लूएस म.नं.-इएच-38, प्रित विहार, फेस-I, दिल्ली रोड़, हापुर सेंचुरी फेक्ट्री, हापुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 245101, **चर्तुःसीमा :** पूर्व : मकान नं.64/39, पश्चिम : मकान नं.64/37, उत्तर : मकान नं.64/45, दक्षिण : 7.5 मीटर चौड़ा रास्ता	15-04-2021 & ₹ 5,12,883/-	10-11-2021
4	(एपलिकेशन नं. 00066670/ मुरादाबाद शाखा) स्व. मुहम्मदी पति निसार हुसेन (इनके कानूनी वारिस द्वारा प्रतिनिधित्व) (ऋणी), मोहम्मद आजम (सह-ऋणी) हरि ओम सिंह (जमानतदार)	सम्पत्ति केसमस्त शेष एवं संपूर्ण भाग, गटा नं. 160 के भाग पर मकान, ग्राम जयंतीपुर, एमबीडी पब्लिक स्कूल के पास, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश 244001, **चर्तुःसीमा :** पूर्व : श्री रियासत की अर्जी , पश्चिम : श्री जाहिद की अर्जी , उत्तर : रास्ता 3.66 एम, दक्षिण : श्री सैदुल एवं छिद्दन की अर्जी	14-07-2021 & ₹ 5,98,035/-	08-11-2021

स्थान : हापुर/मुरादाबाद
दिनांक : 13/11/2021

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड